


-46-



चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind
(Established by the State Legislature Act 28 of 2014)
Recognized u/s 12-B & 2(f) by UGC Act 1956)



No. CRSU/Horticulture/2021/

Dated

बाग की बोली

जुलाई 2021 से अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए बाग की बोली 12.08.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में की जाएगी। इच्छुक प्रतिभागियों को बोली में भाग लेने से पहले 50000/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार, सीआरएसयू, जींद के पक्ष में बयाना राशि के रूप में जमा करनी होगी और बयाना राशि बोली समापन के बाद सफल बोलीदाता की छोड़कर वापस कर दी जाएगी। सफल बोलीदाता को बोली की 25% राशि 7 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय खाता में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार 7 दिनों के भीतर 25% राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को मौका दिया जाएगा। शेष 75% राशि ठेकेदार द्वारा तीन समान किशतों में जमा की जानी है। पहली किशत 15 दिसंबर 2021 तक जमा करनी होगी; दूसरी किशत 15 जून 2022 तक, तीसरी 15 दिसंबर 2022 तक। यदि किशत की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो ठेकेदार को 15% का भुगतान करना होगा ब्याज के रूप में। जुर्माना अन्य किशतों में जमा/समायोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किशतों का समय पर भुगतान न करने पर फल की कटाई को रोकने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है। जो व्यक्ति बोली में भाग लेना चाहता है, वह मुख्य उद्यान अधिकारी की पूर्व अनुमति से किसी भी कार्य दिवस में बाग देख सकता है। विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली के अन्य नियम एवं शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.crsu.ac.in पर उपलब्ध हैं।

विशेष निर्देश:

बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए भारत/ हरियाणा सरकार /स्थानीय प्रशासन/सीआरएसयू, जींद के द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

मुख्य उद्यान अधिकारी

No. CRSU/Horticulture/2021/ 115-118

Dated 03-08-2021

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही हेतु अप्रेषित की जाती है

1. प्रणाली विश्लेषक, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद (विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित)
2. कुलपति के निजी सचिव, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद (कुलपति की जानकारी के लिए)
3. रजिस्ट्रार के पीए, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद (रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए)
4. श्री जोगिंदर सिंह, लिपिक को रिकार्ड में रखने के लिए

मुख्य उद्यान अधिकारी

J.E(H)

for

for

for



चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द
Chaudhary Ranbir Singh University, Jind
(Established by the State Legislature Act 28 of 2014,
Recognized u/s 12-B & 2(f) by UGC Act 1956)



खुली बोली

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के परिसर में फलों के बाग़ की दिनांक - 12.08.2021 को आवंटन पत्र से लेकर 15.04.2023 तक के लिए खुली बोली होगी, जिसका विवरण इस प्रकार है।

1. अमरुद के पेड़ - 48
2. बेर के पेड़ - 501

बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 12.08.2021 को विश्वविद्यालय प्रांगण में सुबह 11:00 बजे सभागार कक्ष में 50000/- (रुपये पच्चास हजार) का डिमांड ड्राफ्ट (रजिस्ट्रार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद) के पक्ष में बोली राशि के साथ आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.crsu.ac.in देखें।

कुलसचिव




चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द

Chaudhary Ranbir Singh University, Jind

(Established by the State Legislature Act 28 of 2014)

Recognized u/s 12-B & 2(f) by UGC Act 1956)



बाग की बोली की नियम एवं शर्तें

1. बोली 07 (सात) लाख रूपये से शुरू होगी।
2. इच्छुक प्रतिभागियों को बोली में भाग लेने से पहले 50000/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार, सीआरएसयू, जींद के पक्ष में बयाना राशि के रूप में जमा करनी होगी। बयाना राशि के ऊपर कोई व्याज नहीं दिया जायेगा। सफल बोलीदाता को छोड़कर असफल बोलीदाताओं का डिमांड ड्राफ्ट बोली के बाद वापिस कर दिया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली की 25% राशि 7 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय खाता में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार 7 दिनों के भीतर 25% राशि जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को मौका दिया जाएगा। शेष 75% राशि ठेकेदार द्वारा तीन समान किश्तों में जमा की जानी है। पहली किश्त 15 दिसंबर 2021 तक जमा करनी होगी; दूसरी किश्त 15 जून 2022 तक, तीसरी 15 दिसंबर 2022 तक।
4. बोली की राशि सरकार द्वारा निर्धारित GST के साथ जमा करवानी होगी।
5. यदि किश्त की राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो ठेकेदार को 15% का भुगतान करना होगा ब्याज के रूप में। जुर्माना अन्य किश्तों में जमा/समायोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किश्तों का समय पर भुगतान न करने पर फल की कटाई को रोकने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास है।
6. ठेकेदार को बागवानी विभाग की अनुमति से उचित कटाई के चरण में फसल की कटाई करनी होगी।
7. प्राकृतिक आपदाओं के कारण बगीचे में हुए किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं है।
8. ठेकेदार अनुबंध को आगे किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट नहीं कर सकता।
9. ठेकेदार को उचित पहचान पत्र प्रदान करना होगा और अपने सभी श्रमिकों का पासपोर्ट आकार का फोटो बागवानी विभाग को जमा करना होगा।
10. बगीचे के कुप्रबंधन के मामले में, विश्वविद्यालय बिना कारण बताए अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11. बाग में सिंचाई का स्रोत दो सबमर्सिबल है और यह काम करने की स्थिति में है। अनुबंधकर्ता की बिजली का बिल व इनके रखरखाव की जिम्मेदारी होगी और अनुबंध समाप्ति पर चालू हालत में ट्यूबवैल वापिस करने होंगे।
12. पेड़ों को कोई नुकसान होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।

J.E.C.H.

10/5

Arun

13. ठेकेदार को नीचे उल्लिखित प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए:
 - क) श्रमिकों को हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान।
 - ख) श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
14. ईएसआई और भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना भी ठेकेदार की जिम्मेदारी और दायित्व होगा यदि उनका ठीक से पालन नहीं किया जाता है, तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।
15. नीलामीकर्ता को नीलामी के दौरान 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित एक हलफनामा देना होगा कि:
 - क) उसे किसी सरकारी/निजी संस्थान/पीएसयू आदि से काली सूची में नहीं डाला गया है।
 - ख) वह किसी भी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।
 - ग) उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने नीलामी में भाग नहीं लिया है।
 - घ) उसने नीलामी के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया और उनसे सहमत है।
16. ठेकेदार को नीलामी के दस दिनों के भीतर 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। अनुबंध न करने पर बोली कैंसिल कर दी जाएगी और उसकी बयाना राशि रुपए 50000 ज़ब्त कर लिए जायेंगे।
17. ठेकेदार ठेका श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के पालन के लिए जिम्मेदार होगा और वह श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
18. किसी दुर्घटना या चोट के कारण श्रमिक को मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वर्तमान में लागू कानून के अनुसार जीवन या अंग की हानि। इस तरह के नुकसान के लिए विश्वविद्यालय किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
19. विश्वविद्यालय कोई कृषि उपकरण अर्थात् कस्सी, कसोला और दरांती आदि प्रदान नहीं करेगा।
20. अनुबंध या उनमें से किसी नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामले में, अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और ठेकेदार को दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। शोध कार्य उस ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर करवाया जाएगा, जिसने अवमानना की है।
21. पर्यवेक्षण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। श्रमिकों के परिवहन के लिए परिवहन विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
22. जो व्यक्ति बोली में भाग लेना चाहता है, वह मुख्य उद्योग अधिकारी की पूर्व अनुमति से किसी भी कार्य दिवस में बाग देख सकता है। विश्वविद्यालय बिना कोई कारण बताए उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
23. यदि अनुबंधकर्ता का व्यवहार एवं कार्य संतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय द्वारा मौजूदा नियम और शर्तों के साथ बोली की रकम का 5% बढ़ाकर अनुबंध को एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
24. अनुबंध समाप्ति पर भूमि व बाग 15 दिन में खाली करने होंगे।

283

(Signature)

(Signature)

25. अनुबंधकर्ता को भूमि से मिट्टी उठाने की इजाजत नहीं होगी।
26. विश्वविद्यालय में लगे ट्यूबवैल का पानी सिंचाई हेतु विश्वविद्यालय परिसर से बहार ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
27. अनुबंधकर्ता को अपने खर्च पर पानी की नालियां बनानी होंगी।
28. अनुबंधकर्ता केवल बाग के कार्यों के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा।
29. ऐसे व्यक्ति को बोली लगाने का अधिकार नहीं होगा, जिसने अभी तक पिछला बकाया जमा नहीं कराया, अगर वह बकाया राशि मौके पर जमा करा देता है तो उसे बोली लगाने का अधिकार होगा।
30. यदि अनुबंधकर्ता कोई ट्यूबवैल अनुबंध समय में लगवाता है तो उसका खर्च वह स्वयं वहन करेगा और अनुबंध खतम होने पर उस ट्यूबवैल को विश्वविद्यालय की सम्पति माना जायेगा।
31. अनुबंधकर्ता की बयाना राशि रुपए 50000/- अनुबंध खतम होने के बाद अदेय प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने पर वापिस कर दी जाएगी।
32. यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पेड़ों का नुकसान होता है तो अनुबंध कर्ता विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित सूचना देगा जिस पर अंतिम फैसला विश्वविद्यालय का होगा।
33. सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध करने के दो दिन के भीतर हैंडओवर लेना होगा और यदि किसी भी तरह की कोई कमी पेशी है तो उसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को देनी होगी ऐसा न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी।
34. अनुबंध होने के बाद विश्वविद्यालय के हित में यदि पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है तो विश्वविद्यालय लघु अवधि की सूचना देकर वृक्षों की कटाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय अनुबंध की अनुपातिक राशि कम कर देगा और विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
35. दोनों पक्षों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद के मामले में इसे विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और अनुबंधकर्ता के लिए बाध्य होगा।
36. कोई भी कानूनी विवाद जीद कोर्ट ऑफ लॉ के अधीन होगा।
37. विश्वविद्यालय द्वारा कोई अन्य शर्त भी मौके पर लागू की जा सकती है।

विशेष निर्देश:

बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को COVID-19 के प्रसार से बचने के लिए भारत/ हरियाणा सरकार /स्थानीय प्रशासन/सीआरएसयू, जीद के द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।


J.E. (H)




Amin





मुख्य उद्यान अधिकारी